मानव व्यापार कानुनी संघर्व टूलकिट

बँधुवा श्रम हस्तक्षेपों की SOP

बंधुआ श्रम के दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियाँ

बंधुआ श्रम के दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियों का सारांश

चरण: १
बंधुआ श्रम की प्राथमिकी दर्ज कराना

चरण: २
आरोपित दोषियों को गिरफ़्तार करना

चरण: ३
अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनामा और आवेदन दायर करना

चरण: ४
दोषी के ज़मानत आवेदन का विरोध करना

चरण: ५
जाँच के दौरान बयान दर्ज करना

चरण: ६
बंधुआ श्रम इकाई बंद/सील करना

चरण: ७
न्यूनतम वेतन वसूलना

चरण: ८
बंधुआ श्रम आरोप-पत्र दायर करना

चरण: ९
मुक़दमे का उपयुक्त मंच सुनिश्चित करना

चरण: १०
बंधुआ श्रम के आरोप लगाना

चरण: ११
बंधुआ श्रम की सुनवाइयों में अभियोजन पक्ष की सहायता करना

चरण: १२
बंधुआ श्रम के गवाहों कोगवाही के लिए तैयार करना

चरण: १३
बंधुआ श्रम के अंतिम तर्क प्रस्तुत करना

चरण: १४
बंधुआ श्रम पर अंतिम निर्णय प्राप्त करना

चरण: १५
बंधुआ श्रम की अपील

चरण 1 बंधुआ श्रम की प्राथमिकी दर्ज कराना

समयसीमा: प्राथमिकी दर्ज कराने में एक से तीन दिन तक लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में बंधुआ श्रम की घटना हुई है उस पुलिस स्टेशन में NGO को बंधुआ श्रम के अपराध की सूचना दर्ज करानी चाहिए।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दर्ज कराई जाने वाली जानकारी को पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी प्राथमिकी (FIR) के रूप में रिकॉर्ड करे और उसमें BLA, IPC, ST/ST POA एक्ट (यदि लागू हों) और क़ानून की जो भी अन्य लागू धाराएँ हों उनके तहत सभी संबंधित अपराध सूचीबद्ध किए गए हों।

व्याख्या

NGO

NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हो और उसमें बंधुआ श्रम के बारे में सारी जानकारी विस्तार से दी गई हो।

अधिवक्ता

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकाय-तकर्ता पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास CrPC की धारा 154(1) के तहत एक या अधिक संज्ञेय अपराधों के किए जाने की सूचना दर्ज कराए। प्राथमिकी दर्ज कराए जाते समय अधिवक्ता को NGO प्रतिनिधियों के साथ पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहना चाहिए और पुलिस की सहायता करनी चाहिए।

प्राथमिकी में निम्नलिखित विवरण हो सकते हैं:

- बचाव का दिनांक और स्थान
- बचाए गए पीड़ितों के नाम और उनकी आयु
- अपराध घटित होने का स्थान
- मानव व्यापारियों के नाम व पते (यदि ज्ञात हों)
- घटित अपराधों के विवरण
- बचाव स्थल का और ज़ब्त सामग्री का संक्षिप्त वर्णन
- अभियान संचालित करने वाले बचाव दल का विवरण।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी सूचना को CrPC की धारा 154 के तहत प्राथमिकी के रूप में दर्ज करे।

यदि प्राथमिकी पंजीकृत नहीं की जा रही है तो ये क़दम उठाएँ:

1. यदि सूचना दर्ज नहीं की जा रही है या प्राथमिकी पंजीकृत नहीं की जा रही है, तो अधिवक्ता को CrPC की धारा 154(3) के अनुसरण में वह सूचना लिखित में और पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजनी चाहिए।

2. यदि तब भी सूचना को प्राथमिकी के रूप में पंजीकृत न किया जाए, तो अधिवक्ता को CrPC की धारा 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करानी चाहिए ताकि वे सूचना दर्ज किए जाने और जाँच शुरू किए जाने का आदेश दें।

3. यदि तब भी सूचना को प्राथमिकी के रूप में पंजीकृत न किया जाए, तो अधिवक्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करनी चाहिए।

यदि तथ्यों द्वारा समर्थित हो तो, अधिवक्ता को अतिरिक्त अपराधों को शामिल करवाने के लिए एक पत्र और साथ में एक शपथपत्र (एफ़िडेविट/हलफ़ना-मा) या अन्य समर्थक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए शिकायत कोई भी कर सकता है: कोई भी व्यक्ति बंधुआ श्रम के अपराध की प्राथमिकी पंजीकृत कराने के लिए सूचना (या शिकायत) दर्ज करा सकता है। प्राथमिकी पंजीकृत कराने के लिए शिकायत दर्ज कराने के प्रयोजन से पीड़ित, उसका कोई परिजन, ज़िला प्रशासन, पुलिस अधिकारी, श्रम विभाग, या सतर्कता समिति के सदस्य में से कोई भी शिकायतकर्ता हो सकता है।

यदि बचाया गया व्यक्ति उसके व्यापार के समय बच्चा था: यदि बचाया गया व्यक्ति वयस्क है पर उसके व्यापार के समय वह बच्चा था, तो बाल व्यापार पर लागू होने वाले क़ानून की धाराएँ लगवाएँ। IPC की धाराएँ 372 और 373 तथा JJA की धाराएँ 23, 24, 25, और 26, जो लागू हों, देखें।

प्राथमिकी में जाँच अधिकारी (IO) का नाम होना ज़रूरी है: प्राथमिकी पंजीकृत कर रहे IO का नाम और उसका पदनाम प्राथमिकी में साफ़-साफ़ लिखा जाना चाहिए। मुक़दमे में IO की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसलिए प्राथमिकी में IO का विवरण साफ़-साफ़ लिखा होना चाहिए।

CrPC की धारा 157 के तहत जाँच पर ज़ोर दें: अधिवक्ता को पुलिस को CrPC की धारा 157 के तहत जाँच के साथ आगे बढ़ने को और संज्ञेय अपराध करने के संदिग्धों को गिरफ़्तार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि पुलिस जाँच के साथ आगे न बढ़े, तो अधिवक्ता को जाँच शुरू करने के आदेश के लिए CrPC की धारा 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दर्ज करना चाहिए।

ऐसे मामलों में जिनमें SC व ST अधिनियम के तहत अपराध शामिल हों: यदि मामले में SC व ST अधिनियम के तहत अपराध शामिल हों, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले की जाँच DSP या उनसे उच्चतर रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए और 30 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

प्राथमिकी पंजीकृत करने का अनिवार्य दायित्व: पुलिस स्टेशन का प्रभारी पुलिस अधिकारी CrPC की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराधों के लिए प्राथमिकी पंजीकृत करने को बाध्य होता है। प्राथमिकी पर सूचना देने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर भी ज़रूरी होता है।[1]

प्राथमिकी से संबंधित निर्णयों के बारे में और जानने के लिए अध्याय 5 देखें।

शून्य प्राथमिकी (ज़ीरो FIR): शून्य प्राथमिकी किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है। व्यक्ति ऐसे पुलिस स्टेशन जा सकता है जिसके पास मामले के ऊपर क्षेत्राधिकार नहीं है, और वहाँ के प्रभारी अधिकारी को शिकायत नोट करनी होगी, उसे "0" संख्या देनी होगी, और उसे संबंधित पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित करना होगा।[2] इसके लिए प्राथमिकी पंजीकृत करने की सामान्य कार्यविधि का ही पालन किया जाता है, और पुलिस की यह ज़िम्मेदारी है कि वह

[1] धारा 154 (1), CrPC.

[2] रिट याचिका (फौजदारी अपील) सं. 1266, वर्ष 2007, सोनू व अन्य बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं अन्य में:
"यदि सूचित अपराध किसी पुलिस स्टेशन विशेष के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं हुआ है तो भी प्राथमिकी पंजीकृत करके संबंधित क्षेत्राधिकारी पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित की जानी चाहिए।"

उसे उपयुक्त पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित करे। शून्य प्राथमिकी से प्राथमिकी दर्ज होने में विलंब से बचा जा सकता है; यह विलंब पीड़ित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और अपराधियों को भागने का मौका दे सकता है। शून्य प्राथमिकी तब भी उपयोगी होती है जब पीड़ित/शिकायतकर्ता संबंधित पुलिस स्टेशन तक जाने की मानसिक या शारीरिक स्थिति में नहीं होते हैं।

दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक:

- **बलात् श्रम की शिकायत:** RDO के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली बलात् श्रम की शिकायत के प्रारूप के नमूने के लिए परिशिष्ट 7A देखें।
- **प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए शिकायत पत्र:** प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले शिकायत पत्र के नमूना प्रारूप के लिए परिशिष्ट 7B देखें।
- **यदि पुलिस प्राथमिकी दर्ज न करे तब प्रयोग होने वाले प्रारूप:**
  - **प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए CrPC की धाराओं 200 और156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट को आवेदन:** शिकायत का संज्ञान लेने के लिए CrPC की धारा 200 के तहत मैजिस्ट्रेट को किए जाने वाले आवेदन के मसौदे और, संबंधित SHO को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिलवाने के लिए CrPC की धारा 156(3) के तहत किए जाने वाले आवेदन के मसौदे के लिए परिशिष्ट 22A देखें।
  - **केस डायरी मँगवाने के लिए मैजिस्ट्रेट को CrPC की धारा 172 (2) के तहत आवेदन:** शुरुआती जाँच में सहायता के लिए पुलिस द्वारा बनाकर रखी जाने वाली केस डायरी मँगवाने का आग्रह मैजिस्ट्रेट से करने हेतु CrPC की धारा 172(2) के तहत किए जाने वाले आवेदन के लिए परिशिष्ट 12 देखें। हालाँकि, यह आवेदन कर दिए जाने पर IO पर संदेह उत्पन्न होता है और इसलिए केवल उचित कारण उपस्थित होने पर ही यह आवेदन करना चाहिए।

प्राथमिकी: प्राथमिकी (FIR) देखने में कैसी होती है यह जानने के लिए अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन या JVI से संपर्क करें।

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका: प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली याचिका का मसौदा पाने के लिए JVI से संपर्क करें।

चरण 2 बंधुआ श्रम के आरोपितों को गिरफ़्तार करना

समयसीमा: आरोपितों की गिरफ़्तारी या तो बचाव वाले दिन या बचाव से एक सप्ताह के भीतर हो सकती है।

NGO	अधिवक्ता
NGO को बंधुआ श्रम अपराधों के सभी आरोपित व्यक्तियों को तुरंत गिरफ़्तार करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को CrPC के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपितों की तुरंत गिरफ़्तारी में पुलिस की सहायता करनी चाहिए और पुलिस को तेज़ी से जाँच आगे बढ़ाने को प्रेरित करना चाहिए।
व्याख्या	
NGO को DM/SDM के निर्देशानुसार गिरफ़्तारी की जाने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को आरोपितों की अविलंब गिरफ़्तारी की जाने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए। यदि अपराध संज्ञेय हो, तो पुलिस अधिकारी वॉरंट के बिना गिरफ़्तारी कर सकता है; असंज्ञेय अपराधों के मामले में वॉरंट आवश्यक होता है। BLA[3] के तहत सभी अपराध और SC व ST POA[4] के तहत बंधुआ श्रम से संबंधित सभी अपराध संज्ञेय हैं।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

जाँच के दौरान गिरफ़्तारी: CrPC की धारा 157(1) यह प्रावधान करती है कि जाँच करते समय पुलिस अधिकारी आवश्यक होने पर अपराधियों की खोज और गिरफ़्तारी के क़दम उठा सकता है।

पीड़ित संरक्षण: NGO को यह पता लगाना चाहिए कि आरोपित ने पूर्व में पीड़ितों को धमकियाँ दी हैं या नहीं। यदि दी हों, तो अधिवक्ता संबंधित पुलिस स्टेशन में पीड़ितों के संरक्षण हेतु आवेदन दर्ज करा सकता है।

IPC अपराधों की संज्ञेयता: IPC के तहत बंधुआ श्रम से संबंधित अपराध संज्ञेय हैं क्योंकि IPC के तहत 3 वर्ष से अधिक के कारावास की सज़ा वाले सभी अपराध संज्ञेय होते हैं।

चरण 3 सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनामा और आवेदन दायर करना

समयसीमा: अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनाम और आवेदन दायर करने की प्रक्रिया में प्राथमिकी दायर किए जाने के बाद एक से सात दिन लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को बंधुआ श्रम के पीड़ितों का औपचारिक परिचय अधिवक्ता से कराना चाहिए ताकि वकील-मुवक्किल संबंध आसानी से स्थापित हो सके।	अधिवक्ता को उनके क़ानूनी परामर्शदाता के रूप में वकालतनामा दायर करने के लिए बंधुआ श्रम के पीड़ितों की सहमति लेनी चाहिए और सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए एक आवेदन दायर करना चाहिए।
व्याख्या	
NGO प्रतिनिधियों को बचाए गए व्यक्तियों और अधिवक्ता के बीच तालमेल बैठाकर वकालतनामा प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकालतनामे की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए। **वकालतनामा एक दस्तावेज़ होता है जो वकील को उसके मुवक्किल के लिए और उसकी ओर से कार्य करने की शक्ति देता है।** अधिवक्ता को **CrPC** की धारा 301(2) के तहत अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए एक आवेदन दायर करना चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

वकालतनामा प्राप्त करना: अधिवक्ता को पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकालतनामे की एक प्रति, बचाव के बाद जल्द-से-जल्द, जब अधिवक्ता पीड़ितों के संपर्क में हो उसी दौरान, प्राप्त कर लेनी चाहिए। बाल पीड़ित के मामले में, आश्रय गृह के देखभालकर्ता, माता/पिता या अभिभावक को वकालतनामे पर हस्ताक्षर करना होगा; यदि किसी बच्चे को किसी आश्रय गृह भेजा गया है, तो जब बच्चे का परिवार उससे मिलने या उसे वापस घर ले जाने के लिए आए तब हस्ताक्षर लिए जा सकते हैं। साथ ही, हर वयस्क और बाल पीड़ित के लिए वकालतनामों की कम-से-कम पाँच-पाँच प्रतियाँ ले लेना उपयोगी रहता है, क्योंकि न्यूनतम वेतन के दावे करने के लिए भी उनकी आवश्यकता होती है। अधिवक्ता को मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय में वकालतनामा दायर करना चाहिए।

[3] BLA, धारा 22।

[4] SC एवं SC POA अधिनियम, धारा 3 सहपठित अनुसूची प्रथम, धारा 2, CrPC 101।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

सरकारी अभियोजक की सहायता कैसे करें: सरकारी अभियोजक की सहायता करने के बारे में जानने के लिए CrPC की धारा 301(2) पढ़ें।

प्रारूप और अभ्यास सहायक: सरकारी अभियोजक की सहायता के आवेदन के प्रारूप के लिए परिशिष्ट 11 देखें, जिसमें वकालतनामे का प्रारूप भी है।

चरण 4 आरोपित दोषियों के ज़मानत आवेदन का विरोध करना

समयसीमा: आरोपितों के ज़मानत आवेदन का विरोध करने की प्रक्रिया में गिरफ़्तारी के समय से और ज़मानत आवेदन दायर किए जाने के समय से एक से सात दिन लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को दोषियों और बंधुआ श्रम के मामले के बारे में जानकारी देकर ज़मानत का विरोध करने में अधिवक्ता को सलाह और सहायता देनी चाहिए।	अधिवक्ता को मौखिक और लिखित रूप में ज़मानत का विरोध करने के लिए और, यदि ज़मानत स्वीकृत होती है तो ज़मानत की कठोर शर्तों के पक्ष में तर्क रखने के लिए, सभी ज़मानत सुनवाइयों में भाग लेना चाहिए।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधियों को आरोपितों की ज़मानत के बारे में जो भी सूचना मिले उसके बारे में उन्हें अधिवक्ता को तुरंत सूचित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़मानत विरोध आवेदन दायर किया जाए।	यदि आरोपित को केवल ज़मानती अपराधों के लिए ही गिरफ़्तार किया गया हो, तो अधिवक्ता को यह पुष्टि करनी चाहिए कि आरोपित ने गारंटी पत्र के साथ ज़मानत के रूप में दो व्यक्तियों को लेकर ज़मानत याचिका जमा की है या नहीं। हालाँकि ज़मानत और गारंटी की माँग करना न्यायालय के विवेकाधीन होता है, पर अधिवक्ता न्यायालय से यह निवेदन कर सकता है कि एक निश्चित राशि/ज़मानत आवश्यक की जाए। यदि आरोपित को एक या अधिक ग़ैरज़मानती अपराध (यानी IPC की धारा 370, SC व ST अत्याचार निरोध (POA) अधिनियम की धारा 3, या अन्य ग़ैरज़मानती अपराधों के लिए गिरफ़्तार किया गया है, तो अधिवक्ता को ज़मानत के विरोध के लिए लिखित आवेदन दायर करना चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

रिमांड सुनवाइयों में भाग लें: रिमांड का अर्थ आरोपित को मुक़दमे से पहले हवालात में क़ैद रखने से है। इन रिमांड सुनवाइयों में आरोपित की अभिरक्षा (हिरासत) तय की जाती है और सामान्यतः ज़मानत के लिए आवेदन किया जाता है। अधिवक्ता को हर रिमांड सुनवाई में भाग लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़मानत अस्वीकृत हो।

ज़मानत कब रद्द की जा सकती है? यदि आरोपित न्यायालय में उपस्थित न हो, न्याया के क्रम से भाग निकले या भाग निकलने की कोशिश करे, या न्याय लागू किए जाने में अड़चन डाले (जैसे, आरोपित द्वारा गवाहों को डराया-धमकाया जाना या उन्हें रिश्वत दी जाना, साक्ष्य गायब करना/करवाना, या जाँच में बाधा डालना), तो अधिवक्ता को गिरफ़्तारी का ग़ैरज़मानती वॉरंट जारी किए जाने और ज़मानत रद्द की जाने का आवेदन दायर करना चाहिए। जब ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हों तो उन्हें पहचानने में और उक्त आवेदन दायर करने में अधिवक्ता को सतर्क होना चाहिए।

पुलिस और सरकारी अभियोजक के साथ संबंध बनाना: अधिवक्ता को आरोपित द्वारा दायर ज़मानत याचिकाओं के बारे में नवीनतम जानकारी पाने के लिए ऊँची रैंक वाले पुलिस अधिकारियों और सरकारी अभियोजक से निकट संबंध बनाने चाहिए। पुलिस और सरकारी अभियोजक से संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि NGO के अधिवक्ता की जानकारी के बिना होने वाली ज़मानत सुनवाई में आरोपित को ज़मानत मिल सकती है, जिससे उसे फ़रार होने और मुक़दमे को बीच में रोक देने का मौक़ा मिल सकता है। यदि किसी कारण अधिवक्ता ज़मानत याचिका की जानकारी न होने के चलते किसी ज़मानत सुनवाई में नहीं जा पाता है, तो अक्सर पूरा मुक़दमा हाथ से निकल जाता है। इसलिए, PP की सहायता करने के लिए आवेदन दायर करना और मुक़दमे में शामिल हितधारकों के साथ संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

उच्च न्यायालय में ज़मानत की सुनवाइयों की स्थिति जाँचना: अधिवक्ता को उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध ज़मानत आवेदनों पर रोज़ाना नज़र रखनी चाहिए। अधिवक्ता को नियमित रूप से ज़मानत न्यायालय जाकर यह जाँचना चाहिए कि कहीं कोई ज़मानत के मामले तो नहीं आए हैं।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

ज़मानत के रद्दीकरण के बारे में निर्णय विधि (केस क़ानून): रघुवीर सिंह बनाम बिहार राज्य103 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ज़मानत के रद्दीकरण के विभिन्न आधार बताए थे।

ज़मानत से संबंधित प्रावधान: CrPC की धाराएँ 436 लगायत 439 ज़मानत के मामले में सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और अधिवक्ता को ज़मानत के रद्दीकरण के लिए सही मंच (न्यायालय) से संपर्क किया जाना सुनिश्चित करते हुए इन धाराओं को सावधानीपूर्वक लगाना चाहिए।

प्रारूप और अभ्यास सहायक:

- **ज़मानत विरोध का आवेदन:** परिशिष्ट 13 में ज़मानत विरोध के आवेदन का एक प्रारूप है, जिसमें ज़मानत विरोध के आधार दिए गए हैं।
- **ज़मानत के बारे में त्वरित संदर्भ पत्रक:** ज़मानत विरोध के बारे में और जानने के लिए **परिशिष्ट 13A** देखें, जिसमें ज़मानत के बारे में एक त्वरित संदर्भ पत्रक है।

चरण 5 जाँच के दौरान बयान दर्ज करना

चरण 2.5 जाँच के दौरान बयान दर्ज करना

NGO	अधिवक्ता
NGO को पीड़ित को CrPC की धाराओं 161 और 164 के तहत अपने बयान देते समय सच बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को सच बोलने में पीड़ित को प्रेरित करने और उसकी सहायता करने के लिए CrPC की धाराओं 161 और 164 के तहत बंधुआ श्रम पीड़ितों के बयानों की रिकॉर्डिंग की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बयानों को लागू क़ानूनों के अनुपालन में रिकॉर्ड किया जाए।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित को पेशेवर परामर्श मिले और वह अपना बयान देने के लिए उचित मनोदशा में हो।	अधिवक्ता को पुलिस को प्रेरित करना चाहिए कि वह बंधुआ श्रमिकों से और, बंधुआ श्रम के मामले के बारे में जो भी अन्य लोग जानकारी रखते हों उन अन्य लोगों से मौखिक रूप से प्रश्न करे और उनके बयान CrPC की धारा 161 के तहत दर्ज करे। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वयस्क

या बाल पीड़ित (जो हो सकता है कि सदमे की हालत में हो) का बयान, किसी सुप्रशिक्षित परामर्शदाता द्वारा परामर्श के बाद ही दर्ज किया जाए।

सस्मरणीय बिंदु

बयान: ऐसे तीन बयान हैं जो क़ानूनी केस-कार्य से संबंधित हैं: CrPC 161 बयान, पूरक बयान और 164 बयान। यहाँ लक्ष्य यह है कि इस बारे में सच्चे बयान लिए जाएँ कि बचाए गए व्यक्ति को किस प्रकार अवैध रूप से मानव व्यापार के स्थान पर लाया गया था और उस स्थान की परिस्थिति क्या है। ये बयान ही दोषी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुक़दमे के दौरान प्रयोग होने वाली पीड़ितों की गवाहियों का आधार होते हैं। तीनों बयानों के संबंध में NGO और अधिवक्ता की भूमिका एक ही है - बचाए गए व्यक्ति को सच बोलने के लिए प्रेरित करना और उसकी सहायता करना, और बयान लेने में पुलिस की सहायता करना।

धारा 161 बयान: पुलिस बचाव वाली रात 161 बयान ले सकती है। यदि 161 बयान झूठा है या पीड़ित नए तथ्यों का खुलासा करता है, तो पुलिस परिवीक्षा अधिकारी के साथ मिलकर अतिरिक्त बयान ले सकती है जिसे पूरक बयान कहते हैं। एक और विकल्प यह है कि 164 बयान के लिए आवेदन किया जाए। 164 बयान का लाभ यह है कि बचाया गया व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने सशपथ बयान देता है और इसलिए इसकी विश्वसनीयता, 161 बयान से अधिक होती है। 161 बयानों को दर्ज किए जाने के दौरान, यानी बचाव के समय, उपस्थित रहना अच्छा रहता है। यह उपस्थिति पुलिस की सहायता करने और बचाए गए व्यक्ति की पक्षधरता करने के लिए उपयोगी होती है।

164 बयान: अधिवक्ता को पीड़ित को 164 बयान के महत्व के बारे में बताना चाहिए। अधिवक्ता को पीड़ित को 164 बयान लेने की प्रक्रिया के बारे में भी बताना चाहिए। साथ ही, पीड़ित को मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देने के लिए ठीक से तैयार भी किया जाना चाहिए। इसके आधार पर, अधिवक्ता और NGO को पीड़ित की 164 बयान देने और उसमें सहयोग करने की इच्छा का आकलन करना चाहिए। यदि पीड़ित 164 बयान देने का इच्छुक और तैयार है, तो अधिवक्ता को पुलिस को सूचित करना चाहिए, जो न्यायालय में आवेदन करेगी। 164 बयानों को एकांत में दर्ज किया जा सकता है।

यदि पुलिस धारा 164 बयान दर्ज करने के लिए न्यायालय में आवेदन नहीं करती है: यदि पुलिस आवेदन दायर करने की इच्छुक नहीं है, तो बचाया गया व्यक्ति अधिवक्ता के साथ मिलकर यह कार्य कर सकता है। आवेदन के साथ, बचाए गए व्यक्ति की ओर से कम-से-कम एक हस्ताक्षरित वकालतनामा होना ज़रूरी है।

पहले से बयान तैयार करें: 164 बयान दिए जाने से पहले पीड़ित को अधिवक्ता द्वारा तैयार किया जाना अच्छा रहता है। सुनिश्चित करें कि पीड़ित मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के मामले में निडर हो और सच्चा बयान देने को तैयार हो।

प्रशिक्षित परामर्शदाता: केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित परामर्शदाताओं को ही पीड़ितों के साथ बातचीत करनी चाहिए।

बयान पीड़ित को ज्ञात भाषा में दर्ज किए जाएँ: NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बयान पीड़ित की भाषा में दर्ज किए जाएँ।

बलात्/ज़बरन बयान: यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए कि पीड़ितों को बयान देने के लिए मजबूर न किया जाए और यह कि इस प्रक्रिया के दौरान आरोपित उपस्थित न हों।

बयान पीड़ित के लिए सुविधाजनक स्थान पर दर्ज किए जाएँ: अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बयान दर्ज करने के लिए पीड़ित को पुलिस स्टेशन न ले जाया जाए। बयान CrPC की धारा 160(1) के तहत प्रावधानित के अनुसार पीड़ित के लिए सुविधाजनक स्थान पर दर्ज किए जाने चाहिए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बचाए गए व्यक्तियों के बयान दर्ज करना: बचाए गए व्यक्तियों के बयान तब दर्ज करें जब वे बयान देने को तैयार और बयान देने में समर्थ हों। बचाए गए व्यक्ति सदमे से निकलने पर अतिरिक्त बयान दे सकते हैं और उनके भावी बयानों में जो भी विरोधाभास हों उनके लिए सदमे के कारण भ्रम का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है।[5]

बचाए गए व्यक्तियों को दिए जाने वाले परामर्श और मनोसामाजिक सहयोग के लिए कृपया **Journey to Justice,** a manual on Psychosocial Intervention, UNODC, 2008[6] देखें।

चरण 6 बंधुआ श्रम इकाई बंद/सील करना

समयसीमा: बंधुआ श्रम इकाई को आदर्श रूप से बचाव वाले दिन ही बंद/सील कर देना चाहिए पर इसमें एक से तीन दिन तक लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को इकाई बंद या सील करने की याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ता को पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए।	जिस इकाई में बंधुआ श्रम चल रहा था उस इकाई को बंद या सील करने की याचिका अधिवक्ता को DM और श्रम विभाग के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए।

व्याख्या	
NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिवक्ता इकाई को सील करने का आवेदन दायर करे।	अधिवक्ता को बंधुआ श्रम का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने और उनका पंजीकरण रद्द करने के आदेश के लिए ज़िलाधिकारी और श्रम विभाग के समक्ष याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए। याचिका बचाव के तुरंत बाद दायर की जा सकती है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

CrPC के वे प्रावधान जो फ़ैक्टरियों को बंद या सील करने में सहायता करते हैं: CrPC की धारा 105, A-L ऐसे विभिन्न प्रावधानों का वर्णन करती है जिनका उपयोग बंधुआ श्रम का उपयोग करने वाली फ़ैक्टरियों को ज़ब्ती और परिसर की कुर्की जैसे साधनों के माध्यम से सील या बंद करने के लिए किया जा सकता है।

अन्य प्रासंगिक क़ानून: श्रम विभाग अवैध ढंग से चल रहीं फ़ैक्टरियों को बंद करने के आदेश के लिए मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है और वह बंधुआ श्रम द्वारा लोगों का शोषण करने वाली फ़ैक्टरियों के पंजीकरण को अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोज़गार एवं सेवा की शर्तों का नियमन) अधिनियम, 1979, फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948, दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, और अन्य प्रासंगिक क़ानूनों[6] के तहत रद्द भी कर सकता है।

चरण 7 न्यूनतम वेतन वसूलना

समयसीमा: न्यूनतम वेतन वसूलने की प्रक्रिया में 1 से 90 दिन लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को श्रम विभाग के समक्ष न्यूनतम वेतन की वसूली का आवेदन प्रस्तुत करने में बंधुआ श्रम पीड़ितों और अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को श्रम विभाग के समक्ष बंधुआ श्रम के पीड़ितों की ओर से न्यूनतम वेतन की वसूली का आवेदन दायर करना चाहिए।

[5] अनुभाग 7.1, Recording Statements U/S 161 and 164 CrPC, UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, भारत सरकार और BBA, पृ.24।

[6] Journey to Justice: Manual on Psycho – Social Intervention, 2008, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का एक प्रकाशन। यहाँ उपलब्ध:< https://www.unodc.org/documents/human- trafficking/India_Training_material/Journey_to_Justice_-_Manual_on_Psychosocial_Intervention.pdf>.

[7] फ़ैक्टरियों को बंद या सील करने के बारे में अनुभाग 6.5, UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, भारत सरकार और BBA, पृ. 22।

व्याख्या	
NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिवक्ता न्यूनतम वेतन की वसूली का आवेदन दायर करे।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिहाई आदेश में न्यूनतम वेतन की वसूली का दावा हो। न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 20(2) के तहत, दावाकर्ता प्राधिकरण, यानी ज़िले के श्रम अधिकारी के समक्ष दावा याचिका दायर करना ज़रूरी होता है। अधिवक्ता बंधुआ श्रमिक की ओर से रिहाई आदेश के साथ-साथ यह याचिका दायर कर सकता है। अधिवक्ता को याचिका में दावे के साथ-साथ अधिकतम दंड लगाने का अनुरोध भी करना चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

रिहाई आदेश में पिछले वेतनों के भुगतान के निर्देश हों: DM/SDM को रिहा किए गए श्रमिकों को रिहाई प्रमाणपत्र स्वीकृत करते समय (बचाव और जाँच/पूछताछ पूरी होते ही तुरंत) एक रिहाई आदेश जारी करना चाहिए जिसके ज़रिए श्रम विभाग पिछले वेतनों का भुगतान सुनिश्चित करेगा।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों, जिनमें अदत वेतनों की वसूली शामिल है, से संबंधित ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में पढ़ने के लिए अध्याय 5 पढ़ें।

कितनी अवधि के पिछले वेतन चुकाए जाएँगे: बचाया गया व्यक्ति बचाव से पहले के छः माह के पिछले वेतन का अधिकारी होता है।

न्यूनतम वेतन की दर: व्यक्ति के न्यूनतम वेतन की दर इस बात पर निर्भर करती है कि वह कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रमिक में से किस श्रेणी में आता है। हर राज्य में न्यूनतम वेतन दर अलग-अलग है। न्यूनतम वेतन दर देखने के लिए यहाँ देखें।

न्यूनतम वेतन अधिनियम के बारे में और पढ़ने के लिए अध्याय 4 देखें।

चरण 8 बंधुआ श्रम का आरोपपत्र दायर करना

समयसीमा: बंधुआ श्रम का आरोपपत्र दायर करने की प्रक्रिया में 1 से 90 दिन तक लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को आरोपपत्र दायर किए जाने के संबंध में अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहना चाहिए।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपपत्र बिना विलंब के निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस के पास दायर कर दिया जाए और उसमें सारे लागू अपराध शामिल किए गए हों।

व्याख्या	
NGO प्रतिनिधियों को अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपपत्र बिना विलंब के दायर कर दिया जाए।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि IO निर्धारित समयावधि के अंदर आरोपपत्र दायर कर दे। यदि IO निर्धारित समयावधि के अंदर आरोपपत्र दायर नहीं करता है, तो अधिवक्ता को अपर पुलिस आयुक्त (ACP) से संपर्क करके आरोपपत्र तुरंत दायर करने के निर्देश माँगने चाहिए। यदि तब भी आरोपपत्र दायर न हो, तो अधिवक्ता को CrPC की धारा 172(2) के तहत न्यायालय से संपर्क करना चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

आरोपपत्र की प्रति: अधिवक्ता को आरोपपत्र की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए। यदि आरोपपत्र में तथ्यों द्वारा समर्थित सारे आरोप न हों, तो अधिवक्ता को उपयुक्त आरोपों से युक्त पूरक आरोपपत्र दायर करने के लिए पुलिस के पास आवेदन करना चाहिए।

आरोपपत्र दायर करते समय अधिवक्ता की उपस्थिति: आरोपपत्र दायर करते समय अधिवक्ता को उपस्थित होना चाहिए।

विरोध याचिका (नाराज़ी याचिका): अधिवक्ता क़ानून की उपयुक्त धाराओं को शामिल नहीं किए जाने का विरोध करने के लिए न्यायालय में विरोध याचिका (नाराज़ी याचिका) दायर कर सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि इसके बाद मैजिस्ट्रेट केस डायरी की समीक्षा कर सकते हैं, और यदि आरोपित के विरुद्ध यह निष्कर्ष देने वाला पर्याप्त साक्ष्य हो कि IO ने त्रुटिपूर्ण अंतिम रिपोर्ट जमा की है, तो मैजिस्ट्रेट केस डायरी में मौजूद साक्ष्य के आधार पर आरोपित को उपस्थित होने का आदेश दे सकते हैं और फिर मामले को आरोपित के विरुद्ध राज्य वाद (स्टेट केस) के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि केस डायरी में आरोपित व्यक्तियों को उपस्थित होने का आदेश देने लायक पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो भी मैजिस्ट्रेट अपने विवेकाधीन विरोध याचिका (नाराज़ी याचिका) को शिकायत के रूप में दर्ज किए जाने का आदेश दे सकते हैं। पर यदि वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आरोपित के विरुद्ध साक्ष्य अपर्याप्त है और उनका यह विचार हो कि पुलिस द्वारा आगे और जाँच आवश्यक है, तो वे पुलिस को मामले की आगे और जाँच करने का निर्देश दे सकते हैं; या फिर यदि मैजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि केस डायरी में मौजूद साक्ष्य आरोपित व्यक्तियों को उपस्थित होने का आदेश देने के लिए अपर्याप्त है और शिकायतकर्ता अपने आरोप का आधार पुष्ट करने के लिए कुछ और गवाहों से प्रश्न करने की इच्छा रखता है, तो मैजिस्ट्रेट विरोध याचिका (नाराज़ी याचिका) को शिकायत मान सकते हैं और ऐसे में शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए जाने के बाद ही उपस्थिति आदेश पारित किया जा सकता है।[8]

और जानें तथा क़दम उठाएँ

परिशिष्ट 20 में दिए गए नमूना फ़ॉर्म और प्रारूप देखें, जिनमें बंधुआ श्रम के मुक़दमों में प्रस्तुत किए जाने वाले लिखित तर्कों का नमूना प्रारूप भी है।

चरण 9 मुक़दमे का उपयुक्त मंच सुनिश्चित करना

समयसीमा: मुक़दमे के लिए उपयुक्त मंच खोजने का कार्य आरोप तय होने के समय से 6 माह के भीतर किया जा सकता है।

अधिवक्ता
अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले को उपयुक्त न्यायालय के सुपुर्द किया जाए और उसे बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना (17 मई, 2022 से प्रभावी) के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।[9]

[8] औन मोहम्मद नक़वी उर्फ़ सिद्दन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; फ़ौजदारी विविध आवेदन सं. 7259, वर्ष 2005।

[9] बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021, पत्रावली सं. S-11012/01/–BL, भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, दिनांकित 7 फ़रवरी, 2022।

व्याख्या

आरोपपत्र दायर हो जाने पर, न्यायाधीश (जो मुख्य महानगर दंडाधिकारी (चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट), महानगर दंडाधिकारी (मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट), मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (चीफ़ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट), अपर न्यायिक दंडाधिकारी (अडीशनल ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट), या उप-अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी (सब-डिवीज़नल ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट) हो सकते हैं) मामले का संज्ञान लेंगे और मामले को उपयुक्त न्यायालय के सुपुर्द किया जाएगा। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द करने की प्रक्रिया में क़ानून द्वारा स्थापित कार्यविधियों का पालन हो। BLA और IPC (विशेष रूप से धारा 370) के तहत हुए अपराध वे आरोप हैं जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

यदि आरोपपत्र में धारा 370 या कोई लागू अपराध न हो: CrPC की धारा 216 न्यायाधीश को आरोप जोड़ने की शक्ति देती है। आरोप जोड़ने के लिए न्यायालय से धारा 216 के तहत आवेदन किया जा सकता है।

संक्षिप्त विचारण (संक्षिप्त मुक़दमा/समरी ट्रायल): BLA से संबंधित आरोपों पर बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 के तहत DM/SDM के समक्ष संक्षिप्त विचारण (संक्षिप्त मुक़दमा/समरी ट्रायल) चलाया जा सकता है। हाल ही में बंधुआ श्रम के मामलों में संक्षिप्त विचारण (संक्षिप्त मुक़दमा/समरी ट्रायल) की संवैधानिकता के संबंध में थोड़ी अनिश्चितता रही है और बॉम्बे, मध्य प्रदेश, और मद्रास उच्च न्यायालयों ने संक्षिप्त विचारण को असंवैधानिक घोषित किया है। हालाँकि, जब तक कोई राज्य संक्षिप्त विचारण (संक्षिप्त मुक़दमों/समरी ट्रायल) को असंवैधानिक घोषित न कर दे तब तक, उनका उपयोग उन मामलों में किया जा सकता है जिनमें केवल BLA अपराधों पर मुक़दमा चल रहा है।

सत्र न्यायालय को मामले की सुपुर्दगी: CrPC की धारा 209 के अनुसार, यदि किसी मामले को केवल और केवल सत्र न्यायालय में चलाया जा सकता है तो उक्त मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया जा सकता है। यदि आरोपपत्र में धारा 370 का उल्लेख हो तो मामले को केवल और केवल सत्र न्यायालय में चलाया जा सकता है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बंधुआ श्रम से संबंधित क़ानूनों और अपराधों के बारे में और जानने के लिए **अध्याय 4** देखें।

कौनसे मुक़दमे केवल और केवल सत्र न्यायालय में ही चलाए जा सकते हैं इस बारे में और जानने के लिए, **दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची देखें।**

चरण 10 बंधुआ श्रम के आरोप तय करना

समयसीमा: बंधुआ श्रम के आरोप लगाने (तय करने) की प्रक्रिया न्यायालय के विवेकाधीन की जाती है और इसलिए इसकी कोई समयसीमा सुझाई नहीं जा सकती है।

NGO	अधिवक्ता
NGO अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहकर यह सुनिश्चित कर सकता है कि न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हों।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय समयबद्ध ढंग से आरोप तय कर दे और उसमें तथ्यों द्वारा समर्थित सारे लागू अपराध शामिल हों।
व्याख्या	
NGO प्रतिनिधि को आरोप तय किए जाने के दिनांक को उपस्थित रहना चाहिए।	अधिवक्ता को आरोप तय किए जाने के दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक़दमे के भाग के रूप में सारे आरोप तय किए जाएँ।

सस्मरणीय बिंदु

निकट न्यायालय दिनांक और अनुचित विलंब की रोकथाम: सुनिश्चित करें कि न्यायालय मामले को बार-बार स्थगित न करता रहे, और यदि वह ऐसा करे, तो निकट न्यायालय दिनांकों पर ज़ोर दें ताकि आरोप तय किए जा सकें। CrPC की धारा 309(1) के तहत, "प्रत्येक जाँच या मुक़दमे में... कार्यवाही अधिकतम संभव शीघ्रता से की जाएगी।" CrPC कुछ परिस्थिति-यों में स्थगन स्वीकृति पर रोक भी लगाती है।

दोष स्वीकारोक्ति: आरोप तय करने के बाद, सत्र न्यायालय आरोपित से पूछेगा कि क्या उसे उस पर लगाए गए आरोप स्वीकार हैं। यदि आरोपित दोष स्वीकार करता है, तो मुक़दमा वहीं पर समाप्त हो जाएगा, अन्यथा मुक़दमा आगे बढ़ेगा।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बंधुआ श्रम अपराधों के बारे में पढ़ने के लिए, अध्याय 4 और 5 देखें। दोष स्वीकारोक्ति के बारे में पढ़ने के लिए CrPC की धारा 229 देखें।

चरण 11 बंधुआ श्रम की सभी सुनवाइयों में सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता करना

समयसीमा: सभी सुनवाइयों में अभियोजन पक्ष की सहायता करने की प्रक्रिया मुक़दमे में लगने वाले समय पर निर्भर करेगी, जिसमें एक से दस वर्ष तक लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को हर सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए किसी ऐसे प्रतिनिधि को भेजना चाहिए जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित हो। ऐसा करने से NGO पीड़ितों और उनके परिवारों को मामले की स्थिति के बारे में सूचना देता रह सकेगा।	अधिवक्ता को मुक़दमा शुरू होने से पहले सरकारी अभियोजक से मिलकर मामले की रणनीति तैयार करनी चाहिए और अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए हर सुनवाई में न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए।
व्याख्या	
	अधिवक्ता को मुक़दमे के हर चरण में उपस्थित होना चाहिए।

चरण 12 बंधुआ श्रम के गवाहों को गवाही के लिए तैयार करना

समयसीमा: बंधुआ श्रम के गवाहों को गवाही के लिए तैयार करने में एक माह लग सकता है।

NGO	अधिवक्ता
NGO को बंधुआ श्रम के गवाहों को सच्चाई और निडरता से गवाही देने के लिए तैयार करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य परीक्षा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रतिपरीक्षा (जिरह) के लिए गवाहों को तैयार करके सरकारी अभियोजक की सहायता करनी चाहिए।

व्याख्या

इस चरण के दौरान, सरकारी अभियोजक के पास बंधुआ श्रम घटित होने के बारे में गवाहों से प्रश्न पूछने का मौक़ा होता है। इसके बाद बचाव पक्ष के वकील को गवाहों के बयानों पर प्रतिपरीक्षा (जिरह) करने का मौक़ा दिया जाता है। NGO प्रतिनिधि को बंधुआ श्रम से बचाए गए व्यक्तियों को यह परामर्श देना चाहिए कि वे सरकारी अभियोजक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अधिक-से-अधिक वर्णन और विस्तार के साथ दें और प्रतिपरीक्षा (जिरह) से परेशान न हों।	अधिवक्ता को बचाए गए व्यक्तियों को मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह) की प्रक्रिया के लिए तैयार करना चाहिए। अधिवक्ता को गवाही देने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य की रचना में उनके बयानों के महत्व के बारे में साफ़-साफ़ समझाना चाहिए। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे दस्तावेज़ी और भौतिक साक्ष्य न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज कर लिए जाएँ।

सस्मरणीय बिंदु

बनावटी मुक़दमा: साक्ष्य वाला चरण शुरू होने से पहले, NGO और अधिवक्ता के लिए यह बेहतर है कि वे बचाए गए व्यक्तियों को किसी न्यायालय कक्ष में ले जाकर उन्हें दिखाएँ कि वह कैसा दिखता है। साथ ही, सुनिश्चित करें कि एक बनावटी मुक़दमा आयोजित किया जाए, ताकि बचाया गया व्यक्ति गवाह से पूछताछ की प्रक्रिया को समझ जाए और उसका डर ख़त्म हो जाए।

पीड़ित के प्रति संवेदना रखने वाले उपाय: बचाए गए व्यक्ति को न्यायालय के प्रति सहज बनाने के साथ-साथ, NGO और अधिवक्ता मैजिस्ट्रेट और न्यायालय अधिकारियों को बचाए गए व्यक्ति के इतिहास के प्रति संवेदना बरतने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

यदि मामले में बच्चे शामिल हों तो अपनाए जाने वाले संवेदनशील उपाय:[10]

a. बाल पीड़ितों/गवाहों को न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में उनकी भूमिका के बारे में सूचित करें;
b. सुनिश्चित करें कि उनके विचारों को सुना जाए और उनका सम्मान किया जाए;
c. उनकी असुविधा को न्यूनतम करें और उनकी निजता का सम्मान करें;
d. कार्यवाहियों में होने वाले विलंब घटाएँ;
e. बाल पीड़ितों से आक्रामक पूछताछ या प्रतिपरीक्षा (जिरह) से बचें (यदि आवश्यक हो तो न्यायाधीश को शामिल करें);
f. एकांत में मुक़दमे की व्यवस्था करें;
g. बाल पीड़ित की पहचान की सुरक्षा करें;
h. बाल पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए तैयार करें और यदि कोई बच्चा न्यायालय जाने को तैयार न हो तो अभियोजन में जल्दबाज़ी की कोशिश न करें।
i. जाँचकर्ता को बाल पीड़ित की चिकित्सीय जाँच की आवश्यकता का पता लगाना चाहिए, और जब जाँच की जाए तो उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि बार-बार जाँच न की जाए;
j. जहाँ तक संभव हो, चिकित्सीय जाँच माता-पिता/अभिभावक और समाजसेवी/परामर्शदाता की उपस्थिति में संचालित करें;
k. दुर्व्यवहार की घटना के बाद जल्द-से-जल्द, अन्य गवाहों को साथ रखते हुए, बच्चे की गवाही किसी समाजसेवी/परामर्शदाता की उपस्थिति में दर्ज करें;
l. ऐसे पर्याप्त अनुवाद/व्याख्याएँ और अनुवादक/दुभाषिये प्रदान करें जो बच्चे की ज़रूरतों के प्रति संवेदना रखते हों;
m. मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के मामले में, बच्चे की ओर से किसी सक्षम सेवा प्रदाता को गवाही देनी चाहिए;
n. बाल पीड़ितों/गवाहों की विशेष आवश्यकताओं को समायोजित किया जाना चाहिए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
   i. बच्चों को न्यायालय के माहौल से परिचित कराएँ; बच्चों को न्यायालय में उपस्थित मुख्य व्यक्तियों, जैसे न्यायाधीश, बचाव पक्ष के वकील, और अभियोजक, की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में बताएँ;
   ii. न्यायालय को बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में सामान्य रूप से और विशिष्ट मामलों में बालक/बालिका विशेष की विशेष आवश्यकताओं के बारे में बताएँ;
   iii. बच्चों को कार्यवाहियों में सहज होने में सहायता दें;
   iv. पूछताछ संक्षिप्त और स्पष्ट रखी जाने को प्रेरित करें ताकि बाल गवाह भ्रमित न हों; और
   v. आठ वर्ष से छोटे बच्चों को किसी समाजसेवी द्वारा पूछे गए मार्गदर्शक प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दें

[10] ये उपाय गोआ बाल अधिनियम, 2003 के तहत बाल न्यायालय द्वारा पालन के लिए दिए गए दिशानिर्देशों पर आधारित हैं। ये इस बात के मार्गदर्शक उपाय हैं कि बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार कैसे किया जाए।

[11] (2001) 10 SCC 732.

मुख्य परीक्षा: मुख्य परीक्षा के दौरान अधिवक्ता गवाहों से पूछे जाने वाले प्रश्न लिखित रूप में प्रस्तुत करके PP की सहायता कर सकता है।
प्रतिपरीक्षा (जिरह): प्रतिपरीक्षा का प्रयोजन अभियोजन पक्ष की कहानी में मौजूद दोषों/त्रुटियों को सामने लाना होता है। बनावटी प्रतिपरीक्षा (जिरह) करना अच्छा रहता है, ताकि गवाह प्रक्रिया से घबराएँ नहीं और वे बचाव पक्ष के वकीलों के प्रश्नों को संभालने के लिए तैयार हों।
एकांत में कार्यवाहियाँ: धारा 164 के तहत गवाह का बयान एकांत में (बंद दरवाज़ों के पीछे) किसी ऐसे माहौल में दर्ज किया जा सकता है जो गवाह को डराता न हो। IO ऐसी याचना CrPC की धारा 327(2) के तहत और साक्षी बनाम भारत संघ[11] का संदर्भ देते हुए कर सकता है।
गवाह: गवाहों में बंधुआ श्रम के पीड़ित, IO, और बचाव के समय उपस्थित व्यक्ति (NGO के प्रतिनिधियों सहित) शामिल होते हैं।
यदि गवाह विरोधी हो जाए(एँ): मुक़दमे के क्रम के दौरान, यदि अभियोजन पक्ष का कोई गवाह विरोधी हो जाए, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी अभियोजक अभियोजन पक्ष के उस गवाह को विरोधी घोषित करे और उसकी प्रतिपरीक्षा (जिरह) करे।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

विशिष्ट रूप से गवाहों की मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह) पर लागू होने वाले प्रावधानों के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की **धाराएँ 137 से 146** (और अन्य प्रासंगिक प्रावधान) पढ़ना न भूलें।

तीव्र मुक़दमा सुनिश्चित करने के लिए गवाहों की प्रतिदिन परीक्षा: CrPC की धारा 309(1) के तहत, "जब गवाहों की परीक्षा शुरू हो जाए, तो उसे तब तक प्रतिदिन किया जाना है जब तक सभी उपस्थित गवाहों की परीक्षा पूरी न हो जाए", और स्थगन केवल दर्ज कारणों के लिए ही किए जाएँ।

अधिवक्ता को CrPC के तहत मुक़दमे के विभिन्न चरणों से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से परिचित होना चाहिए।

मुक़दमे के दौरान साक्ष्य वाले चरण के लिए गवाहों को कैसे तैयार करें इस बारे में जानकारी के लिए JVI से संपर्क करें।

चरण 13 बंधुआ श्रम के अंतिम तर्क प्रस्तुत करना

समयसीमा: बंधुआ श्रम के अंतिम तर्क मुक़दमे के समापन के समय पर अंतिम अवधि से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
NGO को मुक़दमे के अंत में अंतिम तर्क तैयार करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को बंधुआ श्रम के दोषी की दोषसिद्धि के समर्थन में अंतिम मौखिक तर्क पेश करने चाहिए (यदि न्यायालय अनुमति दे) और लिखित तर्क पेश करने चाहिए।

व्याख्या

NGO को लिखित निवेदनों के लिए अधिवक्ता को अधिकतम संभव जानकारी देनी चाहिए।	अधिवक्ता को प्रदान किए गए प्रारूप के आधार पर लिखित निवेदन तैयार करके उन्हें दायर करना चाहिए। न्यायालय को बंधुआ श्रम की मौजूदगी का विश्वास दिलाने के तर्क प्रस्तुत करने में सरकारी अभियोजक की सहायता के लिए अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए। न्यायालय द्वारा अनुमति मिल जाने पर अधिवक्ता को अंतिम मौखिक तर्क भी पेश करने चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

हालाँकि क़ानून द्वारा आवश्यक नहीं किया गया है, पर इस बात की पुरज़ोर सलाह दी जाती है कि अधिवक्ता लिखित अंतिम तर्क तैयार करके प्रस्तुत करे ताकि सुनिश्चित हो कि न्यायालय को उसके समक्ष रखे गए तर्कों की भली-भाँति जानकारी हो। इससे, न्यायालय को बचाए गए व्यक्ति के पक्ष में उचित निर्णय देने को राज़ी करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। CrPC की धारा 301(2) के तहत पीड़ित/शिकायतकर्ता साक्ष्य वाला चरण पूरा हो जाने के बाद भी लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है।

लिखित निवेदनों के साथ गवाहों की गवाहियों से प्राप्त प्रमाण होने चाहिए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

लिखित निवेदनों और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों के प्रारूप के लिए परिशिष्ट 20 देखें।

चरण 14 निर्णय प्राप्त करना और रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करना

समयसीमा: निर्णय प्राप्त करने में 1 से 15 दिन लगते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को न्यायालय से अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने में और संक्षिप्त विचारण (संक्षिप्त मुक़दमा/समरी ट्रायल) संचालित करने वाले न्यायालय अधिकारी (लगभग हर मामले में वह SDM या DM होंगे) से रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने चाहिए। यदि अब तक रिहाई प्रमाणपत्र जारी न किए गए हों, तो अधिवक्ता को संक्षिप्त विचारण (संक्षिप्त मुक़दमा/समरी ट्रायल) संचालित करने वाले न्यायालय अधिकारी (लगभग हर मामले में वह SDM या DM होंगे) से रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बंधुआ श्रमिकों की सहायता करनी चाहिए।

व्याख्या

NGO	अधिवक्ता
निर्णय की घोषणा हो जाने के बाद, NGO को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने चाहिए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

अधिवक्ता को क्षेत्राधिकारी न्यायालय की पूर्वावश्यक शर्तों के अनुसार अपील के प्रारूपों की जानकारी होनी चाहिए। निर्णय दिए जाने के बाद उठाए जाने वाले क़दमों के बारे में और जानकारी के लिए JVI से संपर्क करें।

चरण 15 अपील दायर करना

समयसीमा: अपील, निर्णय की घोषणा के दिनांक से 60 दिनों के भीतर दायर कर देनी चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
NGO को, यदि आवश्यक हो तो, अपील तैयार करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को, यदि आवश्यक हो तो, प्रतिकूल निर्णय के विरुद्ध अपील या संशोधन आवेदन दायर करना चाहिए।

व्याख्या

NGO	अधिवक्ता
यदि पीड़ितों के साथ-साथ NGO प्रतिनिधि न्यायालय के निर्णय पर अपील करना चाहते हों, तो उन्हें इसके लिए अधिवक्ता से संपर्क करना चाहिए।	अधिवक्ता को निर्धारित समय के भीतर और जल्द-से-जल्द, तथा निर्धारित प्रारूप में अपील या संशोधन आवेदन दायर करना चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

मुक़दमा ख़त्म हो जाने पर, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने में सतर्क रहना चाहिए कि आरोपित द्वारा दायर अपील उसकी नज़रों से बचने न पाए या यदि बचाए गए व्यक्तियों की ओर से अपील दायर की जानी है तो उसे सीमाबंधन की अवधि के भीतर दायर कर दिया जाए।[12]

यदि आरोपित द्वारा अपील दायर की जाए, तो अधिवक्ता को उसके विरोध के लिए तैयार होना चाहिए। हालाँकि, यदि आरोपित को निर्दोष घोषित किया जाए तो अधिवक्ता दोषमुक्ति के विरोध में उच्च न्यायालय में अपील या संशोधन आवेदन दायर कर सकता है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

अधिवक्ता को क्षेत्राधिकारी न्यायालय की पूर्वावश्यक शर्तों के अनुसार अपील या संशोधन के प्रारूपों की जानकारी होनी चाहिए।
संशोधन आवेदन, अपील जैसा ही हो ता है और उसे CrPC की धाराओं 397 से 401 के तहत दिए गए आधारों पर दायर किया जा सकता है।
अपील या संशोधन दायर करने के लिए उठाए जाने वाले क़दमों या अपील/संशोधन के प्रारूपों के बारे में और जानकारी के लिए JVI से संपर्क करें।

[12] निचले न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद अपील दायर करने के लिए अनुमन्य समय।

JVI JUSTICE VENTURES INTERNATIONAL